



## झारखण्ड विधान सभा

### षष्ठम् झारखण्ड विधान सभा पंचम सत्र (बजट सत्र)

#### कार्य सूची

16th मार्च 2026

11:00

#### 1. प्रश्नोत्तर

- (1) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (2) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

#### 2. शून्यकाल की सूचनाएँ।

#### 3. ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य

- (1) सर्वश्री रोशन लाल चौधरी, प्रकाश राम एवं श्री निर्मल महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-09-03-2026, 10-03-2026,11-03-26,12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (2) श्री जनार्दन पासवान, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक- 10-03-2026,11-03-26,12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (3) श्री सुदीप गुडिया, स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक- 10-03-2026,11-03-26,12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (4) श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 10-03-2026,11-03-26,12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (5) सर्वश्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, नवीन जयसवाल एवं श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक-10-03-2026,11-03-26 12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (6) श्रीमती रागिनी सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार ( नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 11-03-26,12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (7) श्री हेमलाल मुर्मू, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से

(दिनांक- 11-03-26,12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (8) श्री नागेन्द्र महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (ग्रामीण कार्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 11-03-26, 12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (9) सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, राजेश कच्छप एवं श्री भूषण बड़ा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 11-03-26, 12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (10) श्री चन्द्रदेव महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 11-03-26,12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (11) श्रीमती सविता महतो, स०वि०स० एवं श्री मथुरा प्रसाद महतो, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (12) श्री शत्रुघ्न महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (13) श्री सोमेश चन्द्र सोरेन, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (14) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 12-03-26, 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (15) श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 12-03-26,13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (16) श्री आलोक कुमार सोरेन, स०वि०स० एवं श्री अमित कुमार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (17) श्री संजीव सरदार, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर ( नगर विकास एवं आवास विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (18) श्री प्रकाश राम, स०वि०स० एवं श्री आलोक कुमार चौरसिया, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (19) श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी, स०वि०स० एवं श्री कुशवाहा शशि भूषण मेहता, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (20) श्री सुरेश कुमार बैठा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 13-03-26 एवं 14-03-26 से स्थगित)

- (21) श्री प्रदीप प्रसाद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 14-03-26 से स्थगित)

- (22) श्री राम सूर्या मुण्डा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 14-03-26 से स्थगित)

- (23) श्री उमाकान्त रजक, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (खान एवं भू-तत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 14-03-26 से स्थगित)

- (24) श्री राज सिन्हा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 14-03-26 से स्थगित)

- (25) सर्वश्री राजेश कच्छप, सोनाराम सिंकू एवं श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(दिनांक- 14-03-26 से स्थगित)

- (26) श्री राम सूर्या मुण्डा, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (27) श्री सोमेश चन्द्र सोरेन, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (28) सर्वश्री आलोक कुमार चौरसिया, सत्येन्द्रनाथ तिवारी एवं श्री अमित कुमार यादव, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (29) श्री शत्रुघ्न महतो, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

- (30) श्री सुरेश पासवान, स०वि० स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उस पर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

#### 4. समितियों का गठन

- (1) झारखण्ड विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

#### 5. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

- (1) मंत्री प्रभारी वित्त मैं, भारत का संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसरण में, भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए अवधि के लिए (झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-05 {निष्पादन एवं अनुपालन लेखा परीक्षा-वाणिज्यिक) संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड सरकार के स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन विधान-सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूँ

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जायेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि "विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।"

- (2) वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री, श्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा पंचम् राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति का सभा पटल पर रखा जाना।
- (3) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (4) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

## 6. वित्तीय-कार्य

- (1) वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक आय-व्ययक के सम्मिलित अनुदानों की माँगों (खण्ड-09) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग), मंत्रिमण्डल (निर्वाचन) विभाग, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर-विमानन् प्रभाग), मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग), राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सूधार प्रभाग), परिवहन विभाग, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग (निबंधन प्रभाग), सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग), योजना एवं विकास विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग) एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान।

(माँग एवं कटौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

## 7. राजकीय (वित्त) विधेयक - झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026

- (1) मंत्री प्रभारी वित्त प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (2) मंत्री प्रभारी वित्त "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026" को पुरःस्थापित करेंगे।

- (3) मंत्री प्रभारी वित्त प्रस्ताव करेंगे "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026" पर विचार हो।
- (4) मंत्री प्रभारी वित्त प्रस्ताव करेंगे कि "झारखण्ड विनियोग (संख्या-02) विधेयक, 2026" स्वीकृत हो।
- (5) अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

राँची - 834004  
दिनांक: 16 मार्च 2026

रंजीत कुमार  
प्रभारी सचिव  
झारखण्ड विधान सभा